BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

COMPLIANCE AFFIDAVIT OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(Respondent No. 4)

in

Original Application No. 1144 of 2024

Mohan Singh Bagdri ... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Compliance Affidavit	2-5
3.	**Annexure No. 1**: (Copy of report dated 24.02.2025.)	6-10
4.	**Annexure No. 2**: (Copy of letter bearing no. 1896 dated 17.03.2025.)	11
5.	**Annexure No. 3:** (Copy of letter bearing no. 1895 dated 17.03.2025)	12

Date: March, 2025

Place: Dehradun

MUKESH VERMA
(Advocate for Respondent No. 4, UKPCB)
Chamber No. 50, Old Block,
Supreme Court of India, New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

COMPLIANCE AFFIDAVIT OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

in

Original Application No. 1144 of 2024

Mohan Singh Bagdri ... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

Affidavit of Shri Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Shri M.B. Dhakate presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Paryavaran Bhawan, IT Park, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun and as such is fully conversant with the facts of the case.

2. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 14.02.2025 was pleased to direct as under:

"........

7. Respondent no.4-UKPCB is also directed to file additional report giving details regarding action taken against respondents no.1 to 3 and respondents no. 5 and 6 in respect of the environmental violations as the case may be.

.........."

3. That in compliance of the above direction, it is humbly submitted that the Fact-Finding Committee vide its report dated 24.02.2025 recommended for calculation of environment compensation against P.M.G.S.Y. (Irrigation Block), Jakholi, District Rudraprayag and M/s Bridge and Roof Co(l), Ltd. (Respondent no. 6) for non-disposal of debris properly. In this connection, copy of report dated 24.02.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4. That consequently, the Member Secretary, UKPCB vide letter bearing no. 1896, dated 17.03.2025 directed the P.M.G.S.Y. (Irrigation Block), Jakholi, District Rudraprayag to deposit the

environment compensation of Rs. 2,15,221/- through demand draft in the name of Uttarakhand Pollution Control Board. The said letter also mentions that the amount of environment compensation has been calculated as per the methodology given by this Hon'ble Tribunal vide order dated 26.02.2021 passed in O.A. No. 360/2015 and order dated 25.05.2022 passed in O.A. No. 337/2021. In this connection, copy of letter bearing no. 1896, dated 17.03.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

5. That similarly, the Member Secretary, UKPCB vide letter bearing no. 1895, dated 17.03.2025 directed the M/s Bridge and Roof Co(I), Ltd. (Respondent no.6) to deposit the environment compensation of Rs. 6,06,322/- through demand draft in the name of Uttarakhand Pollution Control Board. The said letter also mentions that the amount of environment compensation has been calculated as per the methodology given by this Hon'ble Tribunal vide order dated 26.02.2021 passed in O.A. No. 360/2015 and order dated 25.05.2022 passed in O.A. No. 337/2021. In this connection, copy of letter bearing no. 1895, dated 17.03.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 3** to this affidavit.

6. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to

carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on the 20th day of March 2025, that the contents of the compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Deponent

FILED BY

MUKESH VERMA

(Advocate for Respondent No. 4, UKPCB)
Chamber No. 50, Old Block,
Supreme Court of India, New Delhi

NOTARY :: (INDIA) GOVT. OF UTTARAKHAND
Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 19(01)2002

This affidavit is sworn before me by
Shri Parag Madhukar Dhakat
who is identified by Shri Mukesh Verma
at Dehradun on 20/3/25

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Annexure-1

UTTARAKHAND
UKPCB

LiFE
Lifestyle For
Environment

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com.
Phone No.-0135-3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-124 /2024–25/3826–2065 दिनांक 27/02/25

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 13002
Date 28/2/25

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1144/2024 मोहन सिंह बागडी बनाम स्टेट आफ उत्तराखंड के सबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–828/2025/1645 दिनांक 07.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, सदर्भित पत्र में संयुक्त समिति गठित की गयी–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता, बोर्ड मुख्यालय, देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1144/2024 मोहन सिंह बागडी बनाम स्टेट आफ उत्तराखंड के सबंध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.02.2025 को किया गया, निरीक्षण के समय उपस्थित विभागो की उपस्थिति संलग्न है, निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

27/02/2025

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

EE(PIC)

Dr Chaturvedi

Put up file

।। संयुक्त निरीक्षण आख्या ।।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 1144/2024 मोहन सिंह बागडी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.12.2024 को किया गया, जिसकी आख्या पूर्व में प्रेषित की गई है। तदोपरान्त बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के पत्रांक यू0 के0पी0सी0बी0/एच.ओ/सामान्य–183–828/2025/1645 दिनांक 7.02.2025 द्वारा मा0 राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.01.2025 के क्रम में विकास खण्ड जखोली जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटर मार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुई पर्यावरणीय क्षति के आकलन हेतु निम्नानुसार **Fact Finding Committee** का गठन किया गया–

1. प्रभागीय वनाकधिकारी, रूद्रप्रयाग अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. सहायक वैज्ञानीक अधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियन्ता बोर्ड मुख्यालय देहरादून।

बोर्ड मुख्यालय के उक्तांकित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या–1878/33–10 (2024–25), दिनांक 17.02.2025 के द्वारा उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग, उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिंचाई खण्ड) जखोली को जांच में आवश्यक सहयोग हेतु निर्देशित किया गया हैं, जिसके अनुपालन में आज दिनांक 24.02.2025 को विषयगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही है–

1. उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
2. डा0 दिवाकर पन्त सहायक वन संरक्षक वन विभाग रूद्रप्रयाग।
3. तहसीलदार, रुद्रप्रयाग।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
5. उप निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, रुद्रप्रयाग।
6. सहायक पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. पवन कुमार सिंह अधि0अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली।
8. हिमालीयन बेरा प्रतिनिधि ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0।
9. दुर्गा सिंह रावत रा0 नि0 खांकरा रूद्रप्रयाग।
10. श्री सोहन लाल, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील रुद्रप्रयाग।
11. शिकायतकर्ता श्री मोहन सिंह बागड़ी, ग्राम सेमलता, पटटी भरदार, विकासखण्ड जखोली के प्रतिनिधि श्री शिशुपाल सिंह बागड़ी पुत्र रतनू सिंह, ग्राम सेमलता।

निरीक्षण के समय की उपस्थिति का विवरण संलग्न है– (अनुलग्नक–1)
विषयगत प्रकरण/स्थल से संबंधित स्थलीय निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण से उत्सर्जित मलवे गिरने से भरदारी गाड़ में पानी के बहाव की चौड़ाई कम हुई है। प्रश्नगत स्थल पर एक डम्पिंग यार्ड पाया गया, जिसमें नीचे की तरफ वायर क्रेटस स्थापित पाये गये, जो अत्यधिक मलवा आने से पूर्व में क्षतिग्रस्त हुये थे, जिसे कार्यदायी सस्था द्वारा मरमत कर दिया जाना पाया गया।

प्रश्नगत स्थल आरक्षित वन भूमि से बाहर हैं, तथा राजस्व अभिलेखानुसार सिविल भूमि हैं। निर्माणाधीन भरदारी गाड़ पुल से उत्सर्जित मलबे से किसी पेड़ तथा पौधे को कोई क्षति नहीं पंहुची हैं।

पूर्व में सड़क कटिंग से उत्सर्जित मलवा डपिग यार्ड में डाले जाने व पुल के निर्माण हेतु किये गये खुदान कार्य से उत्सर्जित मलवा भरदारी गदेरे में जाने से गदेरे की चौड़ाई में कमी आयी है तथ पूर्व से स्थापित घराट क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि क्रमशः कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूद्रप्रयाग व ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22,2nd Floor,Himalaya House,K G Marg,Connaught Place,New Delhi द्वारा उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण न किये जाने के कारण हुआ है, मौके पर एकत्रित मलवे की पैमाईश की गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमशः

1– पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूदप्रयाग–585.58 घन मी0।

2– **Bridge and Roof Co(I) Ltd.**–22,2nd Floor,Himalaya House,K G Marg,Connaught Place,New Delhi–1649.70 घन मी0।

उक्तनुसार उपरोक्त दोनों कार्यदायी संस्था यथा पी0एम0जी0एस0वाई (सिचांई खण्ड) जखोली जिला रूद्रप्रयाग व ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी इंडिया लि0 बी–22,2nd Floor,Himalaya House,K G Marg, Connaught **Place,New Delhi** द्वारा उचित प्रकार से मलवे का निस्तारण नहीं किये जाने पर उपरोक्तानुसार आंगणित मलवे पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने की संस्तुति की जाती हैं।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून

(राम किशोर ध्यानी)
तहसीलदार,
रूद्रप्रयाग।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्येष्ठ खान,
अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
रूद्रप्रयाग।

24/04/2025

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

24/04/2025

(डा0 दीवाकर पन्त)
सहायक वन संरक्षक,
वन विभाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

(भगत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 1144/2024 मोहन सिंह नागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/01/2025 के क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक : यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा०-183-828/2025/1645 दि० 07/02/2025 के अनुपालन में Fact Finding Committee द्वारा स्थलीय निरीक्षण दि० 24/02/2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थिति निम्नवत् रही।

क्र० सं०	नाम	विभाग का नाम/पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
(1)	अमित पोखरियाल	यू.के.पी.सी.बी./क्षेत्रीय अधिकारी	9837156720	[signature]
(2)	डी० दिवाकर पन्त	वन विभाग, रुद्रप्रयाग (सहायक वन संरक्षक)	8006904438	[signature]
(3)	[illegible]	[illegible]	9411722075	[signature]
4	वीरेन्द्र कुमार सिंह	उपनिदेशक/[illegible]	9192802335	
5	राम किशोर [illegible]	[illegible]	9458508230	[signature]
6	दुर्गा [illegible] रावत	राजस्व निरीक्षक [illegible]	9720315450	[signature]
7.	मोहन [illegible]	राजस्व उप निरीक्षक	9927532421	[signature]
8.	पवन कुमार सिंह	अधि० अभि० DMGSY	9557205110	[signature]
9.	Himalay Bem	Bridge & Road	8218370542	[signature]
10	दिग्विजय [illegible] नागड़	[illegible]	9528465774	[signature]
11	[illegible]	S.D.M. (R)	8979211111	[signature]

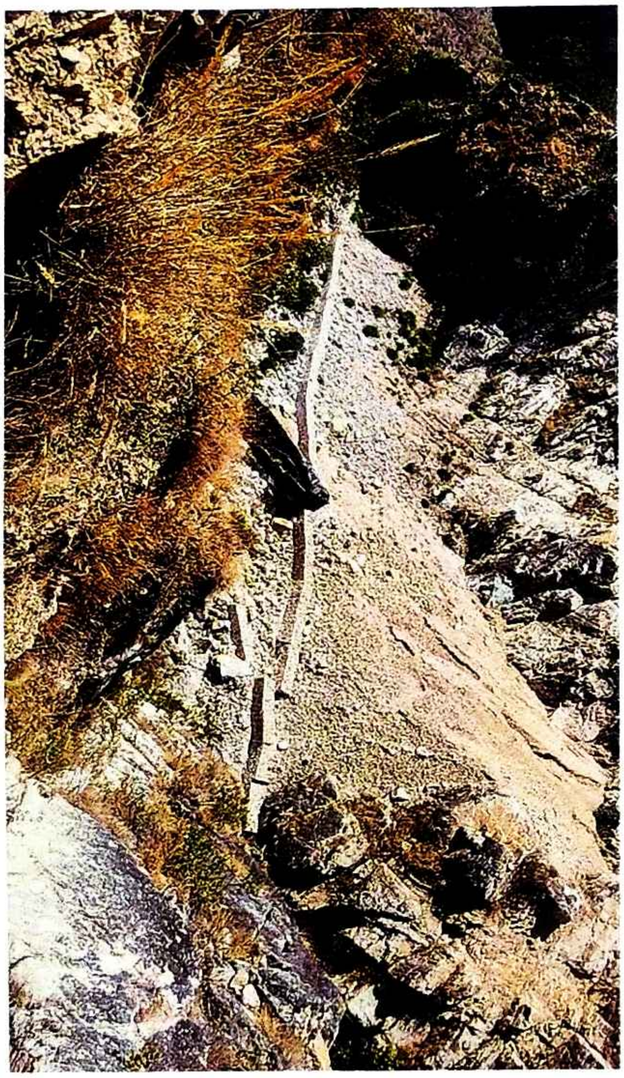

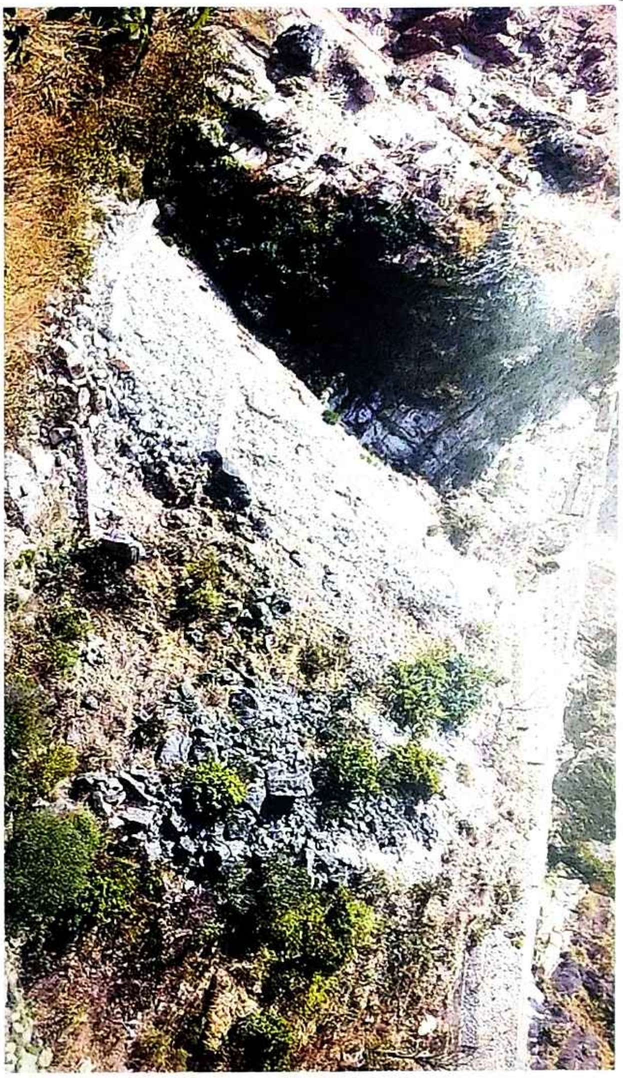

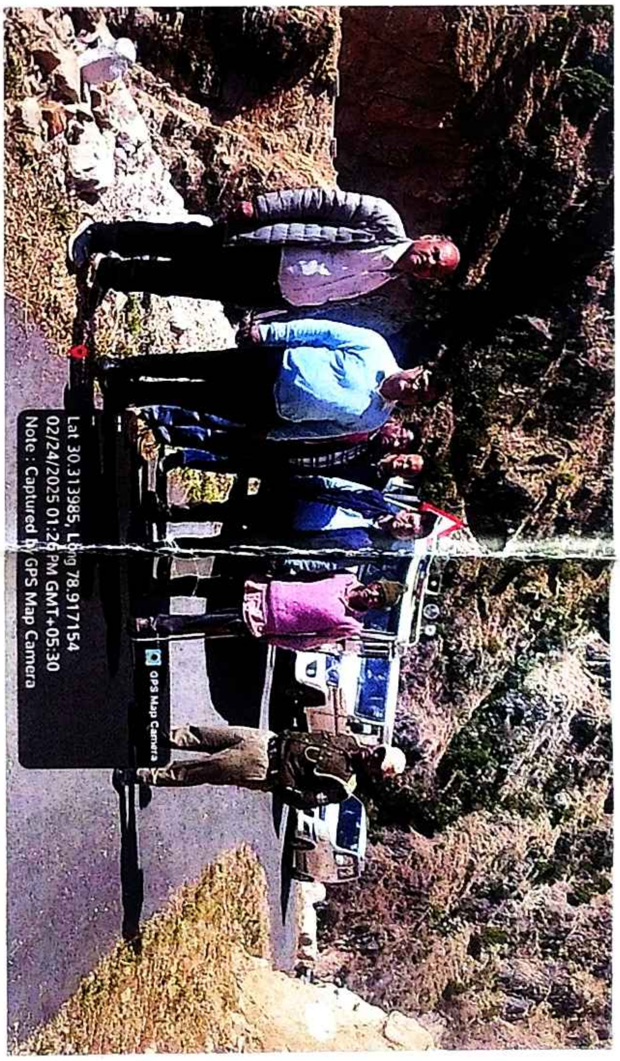
Lat 30.313985, Long 78.917154
02/24/2025 01:26 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera
GPS Map Camera

Annexure-2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–183–828 / 2025 / 1896, दिनांक :– 17 03.2025

सेवा में,

पी0एम0जी0एस0वाई0,
(सिंचाई खण्ड), जखोली,
जिला – रूद्रप्रयाग।

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–1144 / 2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण में विकासखण्ड जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटरमार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुयी पर्यावरणीय क्षति के आंकलन हेतु Fact Finding कमेटी का गठन किया गया है। जिसके कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 14.02.2025 को आदेश पारित किया गया कि – *"UKPCB is also directed to file additional report giving details regarding action taken against respondents no. 1 to 3 and respondents no. 5 and 6 in respect of the environmental violtaions as the case may be"*.

प्रकरण में मोटरमार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे की मात्रा 585.58 घन मी0 आंकलित की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0–360 / 2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0–337 / 2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि **₹2,15,221/-** आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹2,15,221/- पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित् करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।**

भवदीय

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव

Annexure-3

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092

पत्रांक–यूकेपीसीबी / एचओ / सा0–183–828 / 2025 / 1895, दिनांक :– 17.03.2025

सेवा में,

M/s Bridge and Roof Co(I) Ltd.,
22nd Floor, Himalaya House,
KG Marg, Connaught Place,
New Delhi.

विषय :– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–1144 / 2024, मोहन सिंह बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण में विकासखण्ड जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन सेमलता–कफना–डुंगरा मोटरमार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे के निस्तारण से हुयी पर्यावरणीय क्षति के आंकलन हेतु Fact Finding कमेटी का गठन किया गया है। जिसके कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 14.02.2025 को आदेश पारित किया गया कि – *"UKPCB is also directed to file additional report giving details regarding action taken against respondents no. 1 to 3 and respondents no. 5 and 6 in respect of the environmental violtaions as the case may be".*

प्रकरण में मोटरमार्ग तथा भरदारी गाड़ में पुल निर्माण से निकले मलवे की मात्रा 1649.70 घन मी0 आंकलित की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश मूल आवेदन सं0–360 / 2015, दिनांक 26.02.2021 व मूल आवेदन सं0–337 / 2021 दिनांक 25.05.2022 में दी गयी गणना के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि **₹6,06,322 / –** आंकलित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि ₹6,06,322 / – पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्तर्गत इस कार्यालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित् करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का डिमान्ड ड्राफ्ट "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" के नाम एवं देहरादून में देय होगा।**

भवदीय

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी, यू0के0पी0सी0बी0, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

सदस्य सचिव